रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग—II खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 355] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 13, 1979/कार्तिक 22, 1901

No. 355] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 13, 1979/KARTIKA 22, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1979

सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 621(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 24-सीमाशुल्क, तारीख 27 जनवरी, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "40 प्रतिशत मूल्यानुसार" अंकों और शब्दों के स्थान पर "10 प्रतिशत मूल्यानुसार" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 216/फा० सं० 355/74/79-सी० शु०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th November, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 621(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 24-Customs, dated 27th January, 1979, namely :—

In the said notification, for the figures and words "40 per cent ad-valorem", the figures and words "10 per cent ad-valorem" shall be substituted.

[No. 216/F. No. 355/74/79-Cus. I.]

सा० का० नि० 622(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अन्तर्गत आने वाले आइसोबोर्निल ऐसिटेट को, जब कपूर के विनिर्माण के लिए उसका आयात भारत में किया जाए, पश्चात् कथित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उक्त पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क के संदाय से छूट देती है ।

परन्तु आयातकर्ता ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जैसा सहायक सीमाशुल्क कलक्टर विहित करे, बंधपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करेगा कि आइसोबोर्निल ऐसिटेट की ऐसी मात्रा की बाबत, जिसकी बाबत सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं किया जाता है कि उसका उपयोग कपूर के विनिर्माण में किया गया है, मांग की जाने पर, उतनी राशि का भुगतान

करेगा जो इसमें अंतर्विष्ट छूट न दी जाने की दशा में ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात करते समय पहले ही संदत्त शुल्क के अंतर के बराबर है ।

[सं० 217/फा० सं० 355/74/79-सी० शु० I]

के० चन्द्रमौलि, अवर सचिव

G.S.R. 622(E). In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts isobornyl acetate falling within Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of camphor, from payment of the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act :

Provided that the importer, by the execution of a bond in such form and for such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay on demand, in respect of such quantity of isobornyl acetate as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used in the manufacture of camphor, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[No. 217/F. No. 355/74/79-Cus. I.]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979